

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

संचिका सं०- 03/भू0अ0नि0(3)वि0सर्वे0कानूनगो(अ0प्र0पत्र)- 21/2023.700 पटना, दिनांक 06/02/2024

आदेश

निदेशालय ज्ञापांक 10241 दिनांक 20.07.2020 द्वारा सुश्री स्मिता प्रिया श्रीवास्तव, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो (SKN00688) को नियोजित करते हुए बन्दोबस्त कार्यालय, जहानाबाद में पदस्थापित किया गया है। नियोजन के उपरांत इनके द्वारा समर्पित डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग प्रमाण पत्र की जाँच/सत्यापन के क्रम में संज्ञान में आया है कि निदेशालय स्तर पर प्रकाशित विज्ञापन संख्या-04/2019 में विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के पद पर नियोजन हेतु शैक्षणिक योग्यता सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा निर्धारित था, जबकि सुश्री श्रीवास्तव का शैक्षणिक प्रमाण पत्र प्रकाशित विज्ञापन से भिन्न अर्थात् Diploma in Civil Engineering के स्थान पर Diploma in Civil & Architecture Engineering का है, जो कि उक्त पद पर नियोजन के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता के विपरीत है।

विशेष सर्वेक्षण कानूनगो हेतु प्रकाशित विज्ञापन में निर्धारित शैक्षणिक योग्यता से भिन्न योग्यता के आधार पर नियोजन प्राप्त करने के विरुद्ध भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय के पत्रांक 5457 दिनांक 05.07.2023 द्वारा 03 दिनों के अन्दर सुश्री श्रीवास्तव से स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। इनके द्वारा निर्धारित अवधि में स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है तथा अपने स्पष्टीकरण में उल्लेख किया गया है कि Diploma in Civil & Architecture Engineering जो Diploma in Civil Engineering के समकक्ष है तथा ये निर्धारित योग्यता से भिन्न नहीं है।

प्राप्त स्पष्टीकरण एवं संचिका में रक्षित अभिलेखों का अवलोकन किया गया है। अवलोकनोपरांत पाया गया है कि इनके द्वारा यह तर्क दिया जाना कि Diploma in Civil & Architecture Engineering में तीन साल का Diploma किया गया है (Lateral entry on the basic of ITI), जिसमें Diploma in Civil के साथ Architecture Engineering भी शामिल है। इस संबंध में स्पष्ट करना है कि विज्ञापन संख्या-04/2019 में सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा निर्धारित की गयी थी। प्रकाशित विज्ञापन में उक्त शैक्षणिक योग्यता के समकक्ष शैक्षणिक योग्यता का कोई उल्लेख नहीं किया गया था। अतएव ऐसे में इनके स्पष्टीकरण को स्वीकार नहीं किया जा सकता है।

अतः प्रकाशित विज्ञापन में निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता से भिन्न शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र पर नियोजन प्राप्त करने के फलस्वरूप इनके द्वारा नियोजन के समय समर्पित Terms of Assignment की कंडिका-4 में निहित प्रावधान के आलोक में सुश्री स्मिता प्रिया श्रीवास्तव, विशेष सर्वेक्षण कानूनगो का संविदा नियोजन समाप्त किया जाता है।

(जय सिंह)
निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 03/भू0अ0नि0(3)वि0सर्वे0कानूनगो(अ0प्र0पत्र)- 21/2023.700 पटना, दिनांक 06/02/2024

प्रतिलिपि :- सुश्री स्मिता प्रिया श्रीवास्तव (SKN00688), विशेष सर्वेक्षण कानूनगो, बन्दोबस्त कार्यालय, पश्चिम चम्पारण को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाण

ज्ञापांक :- 03/भू0अ0नि0(3)वि0सर्वे0कानूनगो(अ0प्र0पत्र)- 21/2023.700.....पटना, दिनांक 06/02/2024
प्रतिलिपि :- बन्दोबस्त पदाधिकारी, बन्दोबस्त कार्यालय, पश्चिम चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाण
06/02/2024
ज्ञापांक :- 03/भू0अ0नि0(3)वि0सर्वे0कानूनगो(अ0प्र0पत्र)- 21/2023.700.....पटना, दिनांक
प्रतिलिपि :- श्रीमती सरिता कुमारी, प्रोग्रामर, भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय बिहार, पटना,
को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।
साथ ही निदेशित किया जाता है कि इसकी स्कैन कॉपी R2R साफ्टवेयर के
अन्तर्गत संधारित उक्त कर्मी का व्यक्तिगत संचिका में भी अपलोड करें।

निदेशक
भू-अभिलेख एवं परिमाण
06/02/2024